

प्रति, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

तह. गोहरगंज
जि. रायसेन (म.प्र.)

विषय: शक्ति-व्ययपत्रांत संबंधी शक्तिमत् वाक्य ।
संदर्भ: आपका पत्र नं 1076 / दि. 21.10.02 वस्तु कार्य. पत्र. 756 / 14.11.02



उपरोक्त विषय में सूचित है की, कस्बा डोवडुल्लागंज की.

शक्ति सं. क्र. 220/1/1/2 / 1/1 रकबा 0.52 हे. में से 10,000 Sq. Ft. को हथि उपयोग से शैक्षणिक उपयोग हेतु व्ययपत्रांत किये जाने पर इस कार्यालय निम्न शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है :-

- * वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग-69 के मध्य से 110' 00" (फीट) शक्ति मार्ग विस्तार के लिए छोड़ने के पश्चात् शक्ति का व्ययपत्रांत किया जावे ।
- * आस-पास की सीमाओं को समायोजित कर नियोजन मानचित्र तैयार कर विकास/निर्माण के पूर्व शक्तिमत्/शुद्धांत कार्यालय से प्राप्त की जावे ।
- * राष्ट्रीय-राजमार्ग से पश्चात् शक्ति तक पड़ुथ मार्ग की चौड़ाई 30' 00" रखी जाकर इसका विकास संस्था द्वारा स्वयं के व्यय से किया जावे ।
- * शक्ति निर्माण के पूर्व शक्ति विधिवत् नगर पंचायत डोवडुल्लागंज से प्राप्त की जावे ।
- * शक्ति स्वामित्व, पड़ुथ मार्ग एवं अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर यह शक्तिमत् स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

Parakabu
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, विदिशा-रायसेन

688/16

TRUE COPY

10.2.16

Head Copiest
Collector, Raichur

